न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः–   उम्मेदी लाल मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या :–   34 / 2024

स्टेट जरिये श्री रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़

–प्रार्थी

–:बनामः–

नत्थूराम मीना पुत्र शेराराम मीना (विक्रेता)
मैसर्सः–जय भैरू डेयरी, खेतरपाल मंदिर के पीछे, तहसील रावतसर,
जिला हनुमानगढ़।
निवासीः–वार्ड नं. 08, चक 22 एजी, लखुवाली हैड, तहसील रावतसर,
जिला हनुमानगढ़।

–अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 (2) (2) एवं धारा 51

उपस्थितः–

1. श्री रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी राज्य पक्ष।
2. अप्रार्थी स्वयं उपस्थित।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

–:निर्णयः–

दिनांक :–**10.06.2024**

प्रार्थी श्री रफीक मोहम्मद, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री रफीक मोहम्मद दिनांक 10.11.2023 को समय प्रातः 11.05 बजे मय साथी टीम व समान के साथ वास्ते खाद्य पदार्थ दुकान निरीक्षण एवं नमूनीकरण मैसर्सः–जय भैरू डेयरी, खेतरपाल मंदिर के पीछे, रावतसर, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ पर पहुंचे। वहां पर नत्थूराम मीना पुत्र शेराराम मीना (विक्रेता) निवासीः–वार्ड नं. 08, चक 22 एजी, लखुवाली हैड, तहसील रावतसर, जिला हनुमानगढ़ उपस्थित मिला। उक्त विक्रेता के पास प्लास्टिक कैन में मिक्स दूध तादाद करीब 180 लीटर (6 X 30 लीटर) बेचान वास्ते रखा हुआ था जिसमें खाद्य सुरक्षा अधिकारी को मिलावट का शक होने पर करीब 15 लीटर मिक्स दूध में से 02 लीटर नमूना जांच वास्ते क्रय कर लिया। जिसको चार बराबर भागों में बांटकर चार साफ सुखी खाली प्लास्टिक की शीशीओं में भरकर लिया तथा प्रत्येक शीशी के मिक्स दूध में 40–40 बूंदे फॉर्मलिन की डाली गई। मौके पर ही विक्रेता को उक्त दूध के खरीद मूल का 74/–रूपये का नगद भुगतान किया तथा माल खरीद रसीद बनवाकर ली। जिस पर विक्रेता, गवाहान एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर है। माल खरीद रसीद/कैश मीमो परिवाद संग संलग्न है। प्रार्थी द्वारा सैम्पल लेने से पूर्व फार्म नं 5 ए की प्रति पर नोटिस देकर यह बता दिया कि नमूना वास्ते जांच लिया गया है। फार्म 5 ए पर विक्रेता तथा गवाहान ने पढ़कर, समझकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये तथा तस्दीक कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खरीदशुदा मिक्स दूध 02 लीटर को चार बराबर भाग में प्लास्टिक की शीशीओं में भरकर लिया और 04 लेबल तैयार कर लेबल पर विक्रेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर एवं स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर कर लेबल स्लिप कोड नं0 एके–3149 मिन पर दर्ज कर च[illegible]ट को मोटे खाकी कागज में लपेटकर ऊपर से नीचे मुख्य चिकित्सा एवं स्वा[illegible]री, हनुमानगढ एवं जिला अभिहित अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा ह[illegible] को [illegible] को चिपकाया। प्रत्येक पैकेट को मोटे सफेद धागे से [illegible] किया। सील्ड नमूने पर विक्रेता एवं गवाहन के हस्ता[illegible] स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों को खाद्य सुरक्षा अ[illegible]री ने अपने कब्जे में लिया। समस्त की गई कार्यवाही की मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की गई, जिस पर विक्रेता एवं गवाहान को समझा व सुनाकर हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फार्म नं0 6 कार्यालय में तैयार किया एवं नमूना सील किया गया। एक नमूना मय फार्म नं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सील मोहर कर श्रीमान खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला, बीकानेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.06.18 20:01:32 IST
Reason: SelfAttested

न्याय निर्णायक अधिकारी एवम्
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

को जांच हेतु जमा कराया गया। फूड एनालिस्ट पब्लिक हैल्थ लैबोरेट्री से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ ने प्रार्थी (आवेदक) को नमूने की जांच रिपोर्ट क्रमांक 1928 दिनांक 22.11.2023 जिसके अनुसार नमूना जांच Sub-Standard Food प्राप्त होने पर अभिहित अधिकारी ने उक्त प्रकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अग्रिम कार्यवाही हेतु पेश करने को कहा गया। अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़ ने विक्रेता को पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/4101.02 दिनांक 30.11.2023 द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा सूचित किया। नमूना विक्रेता ने नमूने के दूसरे भाग की रैफरल फूड लैब से जांच हेतु निर्धारित अवधि या उसके पश्चात् कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया। प्रार्थी (आवेदक) द्वारा अनुसंधान कार्य पूर्ण होने के बाद समस्त कागजात अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ को वास्ते लिखित अभियोजन स्वीकृति प्रस्तुत किये। अभिहित अधिकारी ने समस्त कागजातों का अवलोकन कर खाद्य सुरक्षा अधिकारी को न्याय निर्णयन आवेदन सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकृत किया गया। इस प्रकरण में अप्रार्थी ने Sub-Standard मिक्स दूध का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है। जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। उपलब्ध कागजात के अवलोकन के आधार पर मिक्स दूध विक्रेता एवं मालिक एफएसएसए 2006 की धारा 31 की श्रेणी में आते हैं। इसलिए विक्रेता पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ द्वारा कार्यवाही हेतु निवेदन किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी कर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सूचित किया गया।

अप्रार्थी द्वारा स्वयं उपस्थित होकर बहस की गई कि अप्रार्थी द्वारा गांव के दूधियों से दूध खरीदकर उसका आगे बेचान किया जाता था। अप्रार्थी द्वारा स्वयं के स्तर पर कोई मिलावट नहीं की गई थी। अप्रार्थी ने डेयरी का संचालन प्रारंभ करने के कुछ समय बाद ही उचित मुनाफा न मिलने के कारण उक्त डेयरी को बंद कर दिया था। वर्तमान में उक्त डेयरी बंद है। अप्रार्थी पहले ही डेयरी के कारण काफी घाटा खा चुका है। अतः अप्रार्थी की माली हालत देखते हुये उक्त प्रकरण को खारिज किये जाने बाबत निवेदन किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस में लैब रिपोर्टनुसार मिल्क फैट कम होने के कारण अधिक से अधिक जुर्माना अधिरोपित करने की प्रार्थना की।

हमने उभयपक्षों के कथनों पर गौर किया व पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजों का अप्रार्थी द्वारा खण्डन किसी प्रकार का साक्ष्य आधारित नहीं किया गया है और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों से प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से निरीक्षण के दौरान क्रय किये गये मिक्स दूध की जांच में Sub-Standard की रिपोर्ट आई है। ऐसी स्थिति में हम अन्य साक्ष्यों को तलब करना आवश्यक नहीं समझते हैं और स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी द्वारा Sub-Standard मिक्स दूध का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। प्रकरण में लैब रिपोर्टनुसार नमूने के मानकों में ज्यादा अंतर नहीं पाया गया है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों एवं मानवीय दृष्टिकोण को मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी के Sub-Standard कृत्य के लिए धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 10,000/-(अखरे रूपये दस हजार मात्र) की शास्ति आरोपित की जाकर यह आदेश दिया जाता है कि लगाई गई शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में निर्णय से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय की एक-एक प्रति उभय–पक्ष को भिजवाई जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को लिखाया कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला मजिस्ट्रेट हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.06.18 20:01:32 IST
Reason: SelfAttested

(उम्मेदी लाल मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़